दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 14-07-2025

# कोर्ट में टिप्पणी पर वकील को अवमानना का नोटिस

## वकील ने ओपन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर कहा था.. मुझे पता था कि इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट में एक अभूतपूर्व मामला सामने आया है। एक वकील द्वारा कोर्ट में की गई टिप्पणी को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने अवमानना माना है। वकील को अवमानना नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल, वकील ने सिंगल बेंच द्वारा याचिका खारिज करने के बाद कहा था कि- मुझे पता था कि मुझे इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कोरबा के वकील श्यामल मलिक ने फैमिली कोर्ट द्वारा जारी डीएनए टेस्ट कराने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यह याचिका 3 जुलाई 2025 को खारिज कर दी थी। खारिज करने का आधार यह था कि फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा पहले एक याचिका में उठाया जा चुका था, जिसे 8 अप्रैल 2024 को ही खारिज किया जा चुका था। सिंगल बेंच ने इस आधार पर मलिक की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज होने के बाद मलिक के अधिवक्ता सैमसन सैमुअल मसीह ने कोर्ट में कथित तौर पर कहा कि मुझे पता था कि मुझे इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। इस टिप्पणी पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसे हाई कोर्ट की गरिमा के विरुद्ध और अवमाननापूर्ण माना। रजिस्ट्रार जनरल को वकील मसीह को अवमानना नोटिस जारी करने कहा गया है।

### कहा- कोर्ट ऑफिसर होते हैं एडवोकेट

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले पर आदेश में कहा कि यह टिप्पणी एक पेशेवर अधिवक्ता ने की है, जो न केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि है, बल्कि कोर्ट ऑफिसर भी हैं। ऐसे शब्द न्यायपालिका की निष्पक्षता पर आरोप लगाते हैं।

### उपस्थित होकर देना होगा जवाब

हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को वकील सैमसन सैमुअल मसीह को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। वकील को 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा गया है।